

महोबा पुलिस



मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक: -08.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।



महोबा पुलिस



मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरूकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 08.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विधास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कर्सों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।



महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बाल किशोर पुलिस इकाई की मासिक गोष्ठी की गई, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के दिए गए निर्देश-

आज दिनांक 08.01.2026 को जनपद महोबा की रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह (नोडल अधिकारी) की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल श्रम, बाल विवाह एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के अंतर्गत प्रकरणों में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि—

- गुमशुदा बालक/बालिकाओं से संबंधित मामलों में धारा 137/87 बीएनएस के अंतर्गत त्वरित व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत संचालित 100 दिवसीय विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से अभियान को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए।
- बाल श्रम विशेषकर पटाखा निर्माण फैकिट्रियों एवं भंडारण गोदामों में बाल श्रम की रोकथाम हेतु चलाए गए चेकिंग अभियानों को सतत जारी रखा जाए।
- पॉक्सो अधिनियम एवं बीएनएस के अंतर्गत प्रारूप (क) व (ख) का विधिवत व अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
- मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए।

बैठक में उपस्थित विभाग/प्रतिनिधि -

बैठक में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, जिला प्रोबेशन कार्यालय, अभियोजन कार्यालय, मुख्य चिकित्सालय महोबा, वन स्टॉप सेंटर, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला थाना/एसजेपीयू महोबा, चाइल्ड लाइन महोबा सहित जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारीरीगण एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

